

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गोतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 9 / 2011 / 579

भोपाल, दिनांक 07-06-201

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय / जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती अनिता गुरनानी, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE-BU6200)	कार्यालय डाइट राजगढ़ (DISE CODE- 233001IDS01)	रायसेन
2	श्री रविन्द्र कुमार डेकाटे, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE-BM8257)	शास. कन्या उ.मा.वि. वारासिवनी, जिला बालाघाट (DISE CODE- 23450777702)	कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद (DISE CODE-233703ORS01)
3	श्रीमती अनुसुईया श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE-BU5339)	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (DISE CODE-233003OBS01)	रायसेन
4	श्री सचिन कुमार जैन, भृत्य (UNIQUE CODE-BR8400)	शास. उ.मा.वि. पटना तह. तमौली, जिला पन्ना (DISE CODE- 23100277702)	शिवपुरी
5	श्रीमती रूपवती रावत, भृत्य (UNIQUE CODE-AX3578)	शा. कन्या पूर्व मा.वि. रतनगवां, जिला रीवा (DISE CODE-231403030005)	सीधी
6	श्री अहमद खॉं, भृत्य (UNIQUE CODE-BQ5376)	शा. उ.मा.वि. झातला, जिला नीमच (DISE CODE-23180377703)	विदिशा
7	श्री प्रदीप बारस्कर, भृत्य (UNIQUE CODE- BF5624)	शा. क.उ.मा.वि. सिरोंज, जिला विदिशा (DISE CODE-23310677702)	बैतूल
8	श्री अब्दुल फरीद, भृत्य (UNIQUE CODE-AF5965)	शा. मा.शाला नैनागिर बकस्वाहा, जिला छतरपुर (DISE CODE-0206101)	सागर
9	श्री रघुराज सिंह मरावी मीनियल (भृत्य) (UNIQUECODE-AW9527)	शा. कन्या उ.मा.वि. तिवनी, जिला रीवा (DISE CODE-23140877704)	सतना

निरंतर / 2 . .

- 2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक/9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।
- 3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
- 6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।
- 7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त



लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

निरंतर/3...

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./9/2011/ 580  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07-06-2011

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, म.प्र. ।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश ।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. ।
8. संबंधित संस्था प्रमुख कार्यालय प्राचार्य/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक,म.प्र. ।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश 

## लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./44/2011/ 581

भोपाल, दिनांक 07-06-201

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय/जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री गोपाल वासनिक लेखापाल (UNIQUE CODE-AC5086)	शा. उ.मा.वि. खारा, वि.ख. किरनापुर, जिला बालाघाट (DISE CODE- 23450266603)	छिन्दवाड़ा
2	श्री दीपक कस्तुरे, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE-AU4883)	शा.उ.मा.वि. कालीपीठ, राजगढ़, ब्यावरा (DISE CODE - 23300177707)	देवास


- 2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक /9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए ।
- 3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।
- 4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।
- 6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।



7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए । कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार

  
(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./44/2010-11/582

भोपाल, दि 07-06-20

~~प्रतिलिपि~~

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, म.प्र. ।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश ।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. ।
8. संबंधित संस्था प्रमुख कार्यालय प्राचार्य/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक, म.प्र. ।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./7/2011/ 585

भोपाल, दिनांक 07-06-2011

// आदेश //


निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय/ जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती शोभा पाण्डेय, सहायक ग्रेड-1 (UNIQUE CODE- AA5400)	कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सांची, जिला रायसेन ( DISE CODE-233405OBS01)	उज्जैन
2	श्रीमती पूर्णिमा पांचाल, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- AZ8445)	शा.उ.मा.व. आगर जिला शाजापुर ( DISE CODE-23220877701)	इन्दौर
3	श्री केशरी सिंह यादव, भृत्य (UNIQUE CODE-AI3795)	शास. उत्कृष्ट बा.उ.मा.वि. भाण्डेर, जिला दतिया ( DISE CODE-23050377704)	ग्वालियर
4	श्री सुरेश कुमार बशकार, भृत्य UNIQUE CODE-AW4034)	शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्या. भियामऊ जिला सतना ( DISE CODE- 23130319901)	टीकमगढ़
5	श्री रमाकांत शर्मा, भृत्य UNIQUE CODE- BA4547)	शास. बा.उ.मा.वि. शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर ( DISE CODE- 23220777703)	शिवपुरी
6	श्री जितेन्द्र कुमार पटेल, भृत्य UNIQUE CODE- AF5823)	शास. उ.मा.वि. बाजना तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर ( DISE CODE- 23090277702)	सिवनी
7	श्री आशीष कुमार तिवारी, भृत्य UNIQUE CODE- AN2023)	शा. मा.बा. शाला तिल्लोर खुर्द जिला इन्दौर ( DISE CODE- 23260515104)	सिवनी
8	श्री राम किशोर दिनकर, भृत्य (मीनियल) UNIQUE CODE-AW6282)	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. सिरमौर, जिला रीवा ( DISE CODE- 23140477701)	सतना

निरंतर/2...

- 2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक /9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाएं ।
- 3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।
- 4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।
- 6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।
- 7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।



प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार

  
(अशोक बर्णवाल)  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
निरंतर/3...

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./7/2011/ 586  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07-06-2011

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, म.प्र. ।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश ।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. ।
8. संबंधित संस्था प्रमुख कार्यालय प्राचार्य/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक,म.प्र. ।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश 



## लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./4/2011/ 587

भोपाल, दिनांक 07-06-2011

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय/जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती मीरा अहिरवार, लेखापाल (UNIQUE CODE-AS8461)	शा. उ.मा.वि. द्वारी, जिला पन्ना (DISE CODE- 23100266602)	सतना
2	श्री देवनारायण उपाध्याय, भृत्य (UNIQUE CODE- निरंक)	शा. हाईस्कूल खड़ीहाट, जिला सीहोर (DISE CODE- निरंक)	राजगढ़
3	श्री संजय कुमार इरपाचे, भृत्य (UNIQUE CODE-AN9936)	शा. कन्या मा.शाला चिचगोहन, जिला खण्डवा (DISE CODE-23290302604)	सीहोर

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक /9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

निरंतर/2...


✓

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार

  
(अशोक बर्णवाल)  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./4/2011/ 588  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07-06-2011

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
8. संबंधित संस्था प्रमुख कार्यालय प्राचार्य/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक, म.प्र.।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

## लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक : स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./4/2011/ 591


भोपाल, दिनांक 07-06-2011

### // आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./27/2010/790-791, दिनांक 15.06.2010 के सरल क्रमांक 1 एवं 5 पर अंकित श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-2, शा.उ.मा.वि. श्यामपुर जिला सीहोर एवं श्रीमती अलका पाटणकर, सहायक ग्रेड-3 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायसेन से भोपाल किया गया स्वेच्छिक स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

यह आदेश नियमानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जा रहा है ।

### प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार


  
(अशोक बर्णवाल)  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./4/2011/ 592

भोपाल, दिनांक 07-06-2011

### प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, म.प्र. ।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश ।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. ।
8. संबंधित संस्था प्रमुख कार्यालय प्राचार्य/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक, म.प्र. ।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश